

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2015/ 867

दिनांक:- 18/11/15

आदेश

सतलज अपार्टमेन्ट, प्रताप नगर सांगानेर में आवासीय अभियन्ता-दशम के अधीन सरप्लस रहे आवासो (फ्लेट्स) का निस्तारण अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, जयपुर के प्रस्तावानुसार उक्त फ्लेटों को नीलामी के माध्यम से निस्तारण करने की स्वीकृति निर्देशानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है, निस्तारण किये जाने वाले फ्लेटों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	सरप्लस फ्लेटों का विवरण	कुल फ्लेट्स
1	28/ST/L/338, 339, 340, 353, 354, 355, 369, 370,	8
	28/ST/L/371, 372, 385, 386, 387, 388, 401, 402	8
	28/ST/L/403, 404	2
	28/ST/L/193, 194, 195, 196	4
	कुल योग	22

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, जयपुर/उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम, जयपुर नीलामी से निस्तारण से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि फ्लेटों हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है, उक्त फ्लेटों के आलावा स्कीम में कोई अन्य फ्लेट आवंटन हेतु रिक्त नहीं है एवं उक्त फ्लेटों का निस्तारण समुचित प्रचार प्रसार के माध्यम से किया जावे तथा फ्लेटों का निस्तारण नीलामी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती, अपने स्तर पर सुनिश्चित कर लें।

उक्त आदेश माननीय आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय का पैरा संख्या 21-22/एन पर अनुमोदित है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ -

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा0आ0म0, जयपुर
4. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, रा0आ0म0 जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-दशम, रा0आ0म0 जयपुर।
8. ~~संयुक्त~~ एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक